

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-01-07/2024/

पटना/दिनांक

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के पत्रांक-1590 दिनांक-07.05.2026 से प्राप्त अनुशंसा तथा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-3127 दिनांक 06.03.2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-4266 दिनांक 28.12.2021 में निहित प्रावधानों के तहत निम्न कनीय अभियंता को उनके आवेदन समर्पित करने की तिथि (कंडिका-06) से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता की बाध्यता से विमुक्त किया जाता है :-

क्र 0	नाम/पदनाम/आई0डी0	पदस्थापित कार्यालय	जन्म तिथि	50 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	आवेदन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री किशोर कुमार, कनीय अभियंता (J-8972)	त्रिवेणी नहर अवर प्रमंडल, रक्सौल।	15.02.1967	15.02.2017	09.04.2026

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

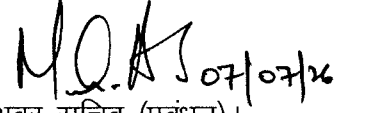
ज्ञापांक - पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल/कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल/श्री किशोर कुमार, कनीय अभियंता (J-8972), त्रिवेणी नहर अवर प्रमंडल, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 3860 पटना/दिनांक 08.12.26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।